कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग भवाली

UTTARAKHAND

eepwdbhowali@rediffmail.com

पंत्राक– 846 /8सी                                                  दिनांक– 9 /06/ 2021

सेवामें,

अपर प्रमुख एंव नोडल अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
वन विभाग इन्द्रिरानगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून

विषय– जिला नैनीताल के विकास खण्ड ओखकांडा मे शहीद इन्द्र सिह बर्गली मोटर मार्ग से खनस्यू तक मो0मार्ग निर्माण हेतु 2.70है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।प्रस्ताव स0 FP/UK/ROAD/140247/2021

सन्दर्भ– आपका पंत्राक EDS दिनांक 22.04.2021

महोदय,

उपरोक्त EDS द्वारा प्राप्त आपत्तियो का विन्दुवार निराकरण कर निम्नवत प्रेषित है।

| कम स0 | विन्दू | उत्तरालेख |
|---|---|---|
| 1 | Kindly upload the justification at | justification तैयार कर अपलोड कर दिया गया है। |
| 2 | Kindly review the employment detail (both temporary and permanent) | employment detail को सही कर अपलोड कर दिया गया है। |
| 3 | FRA is undated and filled | FRA मे दिनांक आदि को भर कर अपलोड कर दिया गया है। |
| 4 | Copy of GO attached is not clear kindly upload it again as it is illegible. | G.O की साफ प्रति अपलोड कर दी गयी है |
| 5 | Kindly upload the checklist/fact sheet as additional information and uoload all the annexure as per the detail mentioned in the check list by mentioning their name in the remark column (Kindly not mentioned annexure as praroop 1,2,3….,mentioned it as Geologist report,land schedule,Tree detail) | checklist अपलोड कर दी गयी है। |

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव पर यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

09/6/21
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली

C:\Users\pc\Desktop\suni.docx

Scanned with CamScanner

# प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु वन भूमि की मांग का औचित्य

**परियोजना का नाम–** जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिंह बर्गली मोटर मार्ग से खनस्यूँ तक मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद नैनीताल के सुदूरवती विकास खण्ड ओखलकांडा के अन्तर्गत पडता है इस मोटर मार्ग के निर्माण से सुदूरवर्ती ग्राम–मल्ला ओखलकांडा,तल्ला ओखलकांडा खनस्यूँ के लगभग 365 की जनसंख्या लाभान्वित होती है।इस मार्ग के बन जाने से मल्ला ओखलकांडा से तल्ला ओखलकांडा होकर पूर्व निर्मित मार्ग के साथ खनस्यूँ तक एक नया लिंक मार्ग भी उपलब्ध हो जायेगा तथा खनस्यूँ की ब्लाक मुख्यालय से दूरी भी कम हो जायेगी, इस मार्ग के निर्माण से ओखकाण्डा से करायल खनस्यूँ तक निर्मित मोटर मार्ग के वर्षा काल में बन्द होने से इस मार्ग का वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। साथ ही मोटर मार्ग के बनने से स्थानीय जनता को यातायात, शिक्षा, चिकित्सा एंव कृषि कारोबार में विशेष सुविधा प्राप्त होगी तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास एंव पर्यटन व्यवसाय को भी बल मिलेगा क्षेत्र के विकास एंव स्थानीय जनता की मांग के अनुसार उक्त मार्ग की नितान्त आवश्यकता है।

प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु विस्तृत रूप से क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है तकनीकि दृष्टिकोण से उचित मितव्ययी तथा कम से कम वन भूमि प्रभावित हो उक्त के दृष्टिगत संमरेखन चयन किया गया है जिसमें 2.70 है0 वन भूमि प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक संमरेखन में अधिक लम्बाई व अधिक वन भूमि प्रभावित होने से वैकल्पिक संमरेखन पर विचार नही किया गया।

अतः 2.70 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण(मांग) औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली

Scanned with CamScanner

संख्या–5030 / III(2)/18–57(एम0एल0ए0)/2017 टीसी–I

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 11 अक्टूबर, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 320/2018 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र–भीमताल के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिंह बगली मोटर मार्ग से खनस्यूं तक 08 कि0मी0 मोटर मार्ग का विस्तार कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिसकी लम्बाई 8.00 कि0मी0 एवं लागत ₹ 40.40 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 40.40 लाख ( ₹ चालीस लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008, दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्ग है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एम0पी0यी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–04–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि

मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
हल्द्वानी

पत्रांक 6795 / 06 पातह – 60/18 दि0 17/10/2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
1– अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0 नैनीताल,
2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 भवाली,

Scanned with CamScanner

अधिप्राप्त-00 --24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्रावधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)-- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)-- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2019 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.10 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 संख्या-S1810220060 दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 के द्वारा आपको आवंटित कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- 337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-02-02 से स्थानान्तरित)के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-462/XXVII(2)/2018 दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( एस0एस0 टोलिया )
संयुक्त सचिव

संख्या-5030/III(2)/18-57(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0-I तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/नैनीताल।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
10. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( जीवन सिंह )
उप सचिव

पत्रांक 3204/520 डी0-02/18
दि0 29/10/18

~~प्रति अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 भवाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित~~

29/10/18
अधीक्षण अभियन्ता,
द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0
नैनीताल.

R.No. 4968/LA-1 दि0 02.11.18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- सहायक अभियंता III
2- बजट सहायक
3- वाणि0 लि0 (प्रा)

स0 लि0
3/11

(37)

प्रारुप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।) (माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा सं० 329/248)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No---

Dated 25/01/2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.70hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Devlopment Department Uttarakhand / Executive Engineer, T.D.P.W.D. Bhawali (Nainital) (name of user agency) for Construction of **Shaheed Inder Singh Bargali MR TO Khansiyu** Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of **khansiyu village in Dhari tehsil.**

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.7 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ......1.........to...annexure...7

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल

Signature

जिलाधिकारी नैनीताल

(Full name and official seal of the District Collector)

Scanned with CamScanner

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand     Office of the District Collector--Nainital

No---

Dated--25/01/2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.70 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D (name of user agency) for..rd (purpose for diversion of forest land) in NTL district falls within jurisdiction of Khanyya village (s) in Dari tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire..2.7 Ha hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1..to 7..annexure....

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of..Khan villages(s) is enclosed as annexure...1. to annexure....7.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

Scanned with CamScanner

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Nainital (U.K.)

39

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dhiraj Singh I.A.S., deputy commissioner, Nainital on dated 25/01/2021 at time 4 P.M....at Nainital in which application claiming rights in Nainital / area measuring 2.70 hect for the Construction of **Shaheed Inder Singh Bargali MR TO Khansiyua** Motor Road (5.200 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Nanital sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Nainital

Dated: 25/01/2020

जनजाति समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

Signature

(Full name and official seal of the District Collector

जिलाधिकारी
नैनीताल

विवरण :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 5.200 किमी0) (माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 329/2018)

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

जिला स्तरीय समिति, नैनीताल

धारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग (0.45 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 2.25 है0) अर्थात कुल 2.70 है0) का अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील धारी) की दिनांक 25/01/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सविन बंसल जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्री धीरज सिंह गर्ब्याल | जिलाधिकारी | नैनीताल अध्यक्ष |
| 2. श्री टी0आर0बिजूलाल | प्रभागीय वनाधिकारी वनप्रभाग नैनीताल | सदस्य |
| 3. श्री अमन अनिरुध | समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4. श्रीमती ममता हागा | जिला पंचायत सदस्य | सदस्य |

सदस्य जिला पंचायत ... समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक परियोजना हेतु 2.70 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता,अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला परिक्षेत्र के अन्तर्गतशहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.70 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी
नैनीताल।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– धारी, नैनीताल
जनपद ........

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– उप जिलाधिकारी धारी, नैनीताल
जनपद........

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
भवाली (नैनीताल)

Scanned with CamScanner

प्रारुप–30.2 (41)

परियोजना विवरण :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 5.200 किमी0) (माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा सं० 329/2018)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, धारी

उपखण्ड धारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग (0.45 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 2.25 है0) अर्थात कुल 2.70 है0) का अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धारी) की दिनांक 21-1-2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राकेश तिवारी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपरिथिति निम्नानुसार है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. श्री . | उपजिलाधिकारी | तहसील धारी | अध्यक्ष |
| 2. श्री | उप प्रभागीय वनाधिकारी वनप्रभाग नैनीताल | | सदस्य |
| 3. श्री केलाश चन्द्र शर्मा | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | | सदस्य/सचिव |
| 4. श्री किशोर कुमार | बी0डी0सी0 क्षेत्र | | सदस्य |

सहायक समाज कल्याण अधिकारी बि0 ख0 ओखलकाण्डा नैनीताल

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक परियोजना हेतु 2.70 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता,अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धारी परिक्षेत्र के अन्तर्गतशहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.70 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

किशोर कुमार
सदस्य
क्षेत्र पंचायत–ओखलकाण्डा

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी
धारी, नैनीताल
तहसील–..................
जनपद ..................

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
भवाली (नैनीताल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी
तहसील–धारी, नैनीताल
जनपद..................

तहसीलदार
धारी, जिला नैनीताल

Scanned with CamScanner

प्रारुप—30.3

(42)

परियोजना विवरण :— जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिंह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 5.200 किमी0) (माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा सं० 34/2018)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खनस्यू

तहसील धारी, जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिह बर्गली मार्ग से खनस्यू तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.45 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि वन पंचायत भूमि 2.25 है0) अर्थात कुल 2.70 है0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता,अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ओखलकाडा द्वारा दिनांक 20-1-2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खनस्यू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव
मुहर सहित

(कमलेश बोहरा)
ग्राम प्रधान
ग्राम पं०—ओखलकाण्डा तल्ला
वि०ख० ओखलकाण्डा (नैनीताल)

ह0/—
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

सरपंच
वन पंचायत
ओखलकाण्डा तल्ला (नैनीताल)

Scanned with CamScanner

## वनभूमि पर प्रस्तावित सड़को के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/ सूचनाओं का विवरण

### विषय सूची


| क0सं0 | प्रपत्र का विषय | प्रपत्र संख्या | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण-पत्र | 1 | 1 |
| 2 | भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1 | 2 | 2 |
| 3 | भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2 | 3 | 3 |
| 4 | भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3 | 4 | 4 |
| 5 | परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति। | 5 | 5-6 |
| 6 | सम्बन्धित विभागो द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट। | 6 | 7 |
| 7 | भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report) | 7 | 8 |
| 8 | 1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल-अलग रंगों से दर्शाया गया हो। | 8 | 9 |
| 9 | डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिग के साथ दर्शाया गया। | 9 | — |
| 10 | गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो। | 10 | 10 |
| 11 | प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या। | 11 | 11 |
| 12 | गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो। | 12 | 12 |
| 13 | वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हे निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण। | 13 | 13-14 |
| 14 | वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र। | 14 | 15 |
| 15 | प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल। | 15 | 16 |
| 16 | परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई। | 16 | 17 |
| 17 | बार चार्ट। | 17 | 18 |
| 18 | कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र। | 18 | 19 |
| 19 | प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण। | 19 | 20-21 |
| 20 | प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यॉकन/सारांश। | 20 | 22-24 |
| 21 | वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण। | 21 | 25 |
| 22 | बॉज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र। | 22 | 26 |
| 23 | वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। | 23 | 27 |
| 24 | न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र। | 24 | 28 |
| 25 | परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र। | 25 | 29 |
| 26 | मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये) | 26 | 30 |
| 27 | राष्ट्रीय पार्को/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति। | 27 | 31 |
| 28 | प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। | 28 | 32-33 |
| 29 | भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विशलेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आकलन। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू) | 29 | 34-36 |
| 30 | वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र। | 30 | 37-44 |
| 31 | परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु) | 31 | — |
| 32 | भवन निर्माण आदि प्रकरणो मे ले-आउट प्लान | 32 | — |
| 33 | परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या। | 33 | 45-49 |
| 34 | भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र। | 34 | 50 |
| 35 | पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियॉ मान्य होने का प्रमाण-पत्र। | 35 | 51-52 |
| 36 | मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण-पत्र। | 36 | 53-54 |
| 37 | प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र। | 37 | 55 |


Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र। | 38 | 56 |
| 39 | परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र। | 39 | 57 |
| 40 | लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र। | 40 | 58 |
| 41 | जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र। | 41 | 59 |
| 42 | क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा) | 42 | 60 |
| 43 | क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र। | 43 | 61-62 |
| 44 | 1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो। | 44 | 63 |
| 45 | रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो। | 45 | 64-65 |
| 46 | रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/ दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का | 46 | 66 |
| 47 | प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण–पत्र। | 47 | — |
| 48 | भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध । | 48 | — |
| 49 | मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन। | 49 | 69 |
| 50 | भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन। | 50 | 68 |
| 51 | एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र। | 51 | 68 |
| 52 | प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन। | 52 | — |
| 53 | लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में) | 53 | |
| 54 | वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण। | 54 | |
| 55 | जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र। | 55 | |
| 56 | भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो) | 56 | |
| 57 | कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र। | 57 | |
| | प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना। | | |

Scanned with CamScanner